न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–12/2022 ~~प्रार्थना पत्र~~ वाद

उनवान

1. सुखदेव पिता श्रीराम गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
2. खेमा पिता श्रीराम गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
3. शम्भुलाल पिता नारायण गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
4. भैरू पिता गोकल गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
5. नारायणदास पिता माधु दास वैष्णव जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रतनदास पिता माधुदास वैष्णव जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. शंकरलाल पिता भंवर लाल गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
8. किशन पिता नन्दा सुथार जाति सुथार आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
9. गंगाराम पिता छीतर गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
10. छितर लाल पिता छोगा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पिता भूरा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. घीसी पत्नी भूरा बाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा भीलवाड़ा (राज.)
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा
5. उप–पंजीयक कारोईकलां उप तह0 कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1.श्री मांगी लाल जी सेन वादी अधिवक्ता

2. श्री भैरू लाल बाफना प्रतिवादी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

निर्णय दिनांक 24/4/25

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल जी सेन द्वारा दिनांक 14.02.2022 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 131–136 राजस्थान काश्तकारी भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को रजिस्टर कम संख्या 12/2022 पर दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी का आवंटन निरस्त कराने व अमल दरामद हेतु खोले गये नामान्तकरण संख्या 161 दिनांक 29.03.1978 को अवैध व शून्य प्रभावी घोषित कराकर आराजी नम्बर 1982/827/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि को बिलानाम घोषित कराने हेतु यह वादपत्र पेश किया है। ये दोनो ही अनुतोष न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रदान नहीं किये जा सकते है क्योंकि इस बाबत अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार कानून ने अन्य सक्षम न्यायालयों को दे रखा है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि वाद में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय को प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे यह वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण निरस्तनीय है। मुझ प्रतिवादी का आवंटन माननीय राजस्व मण्डल तक कायम रहा है।

24/4/25

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित भूमि के किसी भी भाग में राजीव गांधी पाठशाला, रास्ता व बाड़ा और क्रिड़ा स्थल बने हुए नहीं है।

इस वाद में जिस भूमि के बाबत अनुतोष चाहा जा रहा है वह कभी भी वादीगण के खाते व कब्जेकाश्त की भूमि नहीं रही है। जिससे वादीगण को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वादीगण को घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा आदि के बाबत यह वादपत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे यह वादपत्र इसी स्टेज पर निरस्तनीय है।

वादीगण ने अपने वादपत्र में कहीं भी यह अंकित नही किया है कि उनकी खातेदारी की किस भूमि के बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती कराने हेतु यह वादपत्र पेश किया है जिससे वादीगण को कोई कारणवाद उत्पन्न नहीं होता है, जिससे यह वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त कराया जावे।

प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.11.2024 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब वादी अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त मौके दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किये जाने से जवाब बंद किया जाकर पत्रावली अंतिम बहस में नियत की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादी की खातेदारी को समाप्त करवाने एवं वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में सिवायचक घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियमों में हुआ है। उक्त नियमों के नियम 14 (4) के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को भूमि का गलत आवंटन हुआ है तो उसके आवंटित आदेश को चुनौती दिये जाने का प्रावधान है। वादीगण द्वारा पूर्व में प्रतिवादीगण के पक्ष में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की गई थी। जिसके स्वीकार होने के उपरान्त सम्वत् 2059–62 की जमाबन्दी में खाता संख्या 335 में नामान्तरण संख्या 1041 निर्णय दिनांक 04.10.2006 को वादग्रस्त भूमि 1982/827/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा को सिवायचक दर्ज किये जाने का अंकन है। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया तो नामान्तरण संख्या 1724 दिनांक 5 जुलाई 2021 से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पुनः दर्ज हो गई है। वादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर होना बखूबी साबित है। साथ ही माननीय न्यायालय को किसी भी नामान्तरण को अवैध एवं शून्य घोषित करने तथा वादग्रस्त भूमि को बिलानाम घोषित करने का क्षेत्राधिकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है। अतः माननीय न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक रूप से सम्पूर्ण गांव के उपयोग–उपभोग में आ रही है। मौके पर राजीव गांधी पाठशाला का खेल मैदान, वादीगण का बाड़ा एवं आम रास्ता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में आवंटन दिनांक के उपरांत से आज दिनांक तक कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में नहीं आई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार भीलवाड़ा से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर वादी के वाद का अंतिम निस्तारण किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिविटल बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादीगण के नाम दर्ज होने से संबंधित नामान्तरण संख्या 161 दिनांक 29.03.1978 को शून्य एवं अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। साथ ही माननीय न्यायालय वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित करने का भी क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में दर्ज धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा 25

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। साथ ही उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 उपनियम "घ" से बाधित होना प्रथम दृष्टया साबित होता है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में निर्णित नामान्तरण संख्या 161 दिनांक 29.03.1978 को शून्य एवं अवैध घोषित करने तथा वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित करने का क्षेत्राधिकार तक न्यायालय का नहीं है। साथ ही वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित कराये जाने के संबंध में वादी जो अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने का तथ्य वादी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131–136 में वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी को स्वीकार किया जाता है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 उपनियम "घ" से बाधित होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

21/11/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. खेमा पिता श्रीराम गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
2. शम्भुलाल पिता नारायण गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
3. भैरू पिता गोकल गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
4. नारायणदास पिता माधु दास वैष्णव जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रतनदास पिता माधुदास वैष्णव जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. शंकरलाल पिता भंवर लाल गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
7. किशन पिता नन्दा सुथार जाति सुथार आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
8. गंगाराम पिता छीतर गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)
9. छितर लाल पिता छोगा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 व जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पिता भूरा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. घीसी पत्नी भूरा बाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा भीलवाड़ा (राज.)
4. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा
5. उप–पंजीयक कारोईकलां उप तह0 कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136–131 भू– राजस्व अधिनियम बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती कराये जाने नक्शे में तरमीम कराये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 12/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित– इस वाद में आज तारीख 24.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रार्थी /प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाने से वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 घ के विधिक प्रावधानों से बाधित होने के कारण वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवे 188 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा